

## आदेश

आदेश संख्या-11/मु०-6-9/2014

दिनांक- / /2014

विभागीय आदेश ज्ञापांक-2736 दिनांक-23.6.2014 द्वारा मेसर्स जे०के०एम०इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि० C-84 ग्रेटर कैलाश पार्ट-I; नई दिल्ली 110048 के निबंधन संख्या-9/2009 (प्रथम श्रेणी) को काली सूची में डालवा गया था । जिसे रद्द करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-11252/2014 मेसर्स जे०के०एम०इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि० बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया था /माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक-11.8.2014 को न्याय निर्णय पारित किया । न्याय निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये ऑब्जर्वेशन निम्न प्रकार है ।

Let it be noted that this court in exercise of power under Article 226 of the constitution of India cannot go into the merit of the allegation of resultant order passed on such allegation but then this court divinity will be entitled to look into the decision making process and if such decision making process itself is not satisfactory there would be no difficulty in holding that the impugned order is vitiated . Here in the present case the petitioner's stand in the show cause reply has not even been addressed to by the authority while passing the impugned order and thus, the decision making process has become vitiated.

In view of the matter, while this court would quash the impugned order, it would still remit the matter back to the respondent to reconsider the show cause reply of the petitioner in the light of the observations made in this order.

अतः उपर्युक्त के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2736 दिनांक-23.6.2014 को तत्काल रद्द किया जाता है याचिकाकर्ता से प्राप्त अभ्यावेदन एवं प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचारोपरान्त पुनः नया आदेश इस संबंध में निर्गत किया जायगा ।

ह०/-

अभियंता प्रमुख(मध्य)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

दिनांक- / /2014

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- मेसर्स जे०के०एम०इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि० रिज० ऑफिस-C-84, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I; नई दिल्ली-110048/ क्षेत्रीय कार्यालय-कमरा संख्या-403 गोरखनाथ एण्ड लीला एपार्टमेंट, ईस्ट बौरिंग रोड- पटना -800001 (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

अभियंता प्रमुख(मध्य)


जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :-

5537

दिनांक- 07/11/2014

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/  
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग /  
सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग /सचिव, लघु जल  
संसाधन विभाग /अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो० अंचल 2,3,4/निदेशक, क्रय  
भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन / बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, पटना /अवर सचिव (प्रभारी  
प्रशाखा -19) /प्रशाखा-19 आई०टी०मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
अभियंता प्रमुख(मध्य)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।